संoसंo–1/अoनाoमoमेoकॉo–01/2018– 113 (1) स्वा०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,
गया।

पटना, दिनांक– 08 / 03 / 2019

विषयः– अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड–20–2210051050007 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू0 2,50,000/–(रुपये दो लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को विपत्र कोड–20–2210051050007 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू0 2,50,000/–(रुपये दो लाख पचास हजार) मात्र का आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0007.13.10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	0	250000	250000	0	250000	250000	0

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक–06.05.06, 96/वि0(2), दिनांक–09.01.08 सह–पठित संकल्प सं०–2190/वि०(2), दिनांक–17.03.08, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक–18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0007–मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड–20–2210051050007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से की जायेगी।

क्रमशः

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

6. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत् किया जाएगा।

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर)

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/अ0ना0म0मे0कॉ0–01/2018–113(1) स्वा0, पटना, दिनांक–08/03/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमण्डल, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

सरकार के विशेष सचिव